BEFORE THE BOARD OF REVENUE, MADHYA PRADESH

GWALIOR (M.P.)

Appeal No. 5222 /2014 A- 3235-II/14

APPELLANTS. :

1. Dilip Naik, S/0 Late Shri. R. P. Naik
2. Devendra Naik, S/o Late Shri R. P. Naik
3. Sudhir Naik, S/o Late Shri R. P. Naik
4. Pradeep Naik, S/o Late Shri R. P. Naik
5. Maheep Naik, S/o Late Shri R. P. Naik

Appellant No 1 to 5 are all resident of Delite Talkies Compound, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)

6. Late Shri Devendra Naik throuth their L/R's

(1) Smt. Saroj Naik W/o Late Shri Devendra Naik

(2) Smiriti Naik D/o Late Shri Devendra Naik

VERSUS

अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
06 SEP 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

RESPONDENT :

1. State of M.P.
   Through Collector,
   District Jabalpur (M.P.)
2. Commissioner Jabalpur
   Division Jabalpur (M.P.)
3. Revenue Secretary
   Govt. of M.P.
   Bhopal (M.P.)

APPEAL UNDER SECTION 44 (1) OF MADHYA PRADESH LAND REVENRE CODE 1961

The appellant named above respectfully submits as hereunder:-

1. That, after purchasing the property aforesaid the appellants applied before the competent authority for the renewal of the

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **अपील 3235—दो / 14** **जिला जबलपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10—02—2015	अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में ग्राह्यता के संबंध में अपीलार्थी को सुना गया तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों व अपीलार्थी के समय सीमा अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने यह अपील आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—2—2014 के विरूद्ध दिनांक 6—9—2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा प्रश्नाधीन आदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र, खण्ड 4 कमांक 1 की कण्डिका 18 के अन्तर्गत कलेक्टर जिला जबलपुर के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर पारित किया गया है । 2— किसी प्रकरण में निगरानी अथवा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत अपील राजस्व मण्डल में ग्राह्य योग्य नहीं हो सकती । अतः इस आधार पर यह अपील अग्राह्य योग्य है । 3— राजस्व पुस्तक परिपत्र, खण्ड 4 कमांक 1 की कण्डिका 18 में निम्नानुसार प्रावधान है — "अभ्यावेदन — राज्य शासन के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध नीचे दिये गये तरीके से अभ्यावेदन या आवेदन किया जा सकेगा — (एक) कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी या नजूल अधिकारी	

द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को ।
(दो) कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध आयुक्त।
(तीन) आयुक्त [...] द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को ।

कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी या नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में स्वप्रेरणा से परिवर्तन कर सकेगा और आयुक्त, कलेक्टर द्वारा पारित किसी भी आदेश में परिवर्तन कर सकेगा । निश्चय ही राज्य शासन भी इस परिपत्र के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में परिवर्तन कर सकता है ।''

4– उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र में आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को अभ्यावेदन किये जाने का स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में जबकि संबंधित विधिक संहिता(इस प्रकारण में राजस्व पुस्तक परिपत्र) जिसके अन्तर्गत मूल आदेश पारित किया गया हो, में अगले प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन का स्पष्ट प्रावधान है, तब उक्त संहिता (राजस्व पुस्तक परिपत्र) में पारित आदेश के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत निगरानी सुना जाना विधिक नहीं कहा जा सकता । अतः इस आधार पर भी यह निगरानी अग्राहय योग्य है ।

5– अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों के साथ समय सीमा अधिनियम के अन्तर्गत छूट का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि आयुक्त के आदेश दिनांक 25–2–14 के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च

न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट पिटीशन (रिट पिटीशन कमांक 5486 / 2014 आदेश दिनांक 1–5–2014) दायर की गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट पिटीशन में अपने आदेश के द्वारा अपीलार्थी को आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राज्य शासन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे । अपीलार्थी ने अपने समय सीमा से छूट संबंधी आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के उपरांत उसके द्वारा कमिश्नर के प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध राज्य शासन में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है जो अभी राज्य शासन के समक्ष लंबित है ।

6— अपीलार्थी की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि उसने आयुक्त के आदेश दिनांक 25–2–2014 के विरूद्ध राज्य शासन के समक्ष चुनौती दे रखी है तथा उक्त अभ्यावेदन के राज्य शासन के समक्ष लंबित रहते हुये ही वह राजस्व मण्डल में भी उपस्थित हो गया है। एक ही आदेश के विरूद्ध दो प्राधिकारियों के समक्ष अपील / निगरानी सुना जाना विधिपूर्ण नहीं है तथा अपीलार्थी का उक्त कृत्य उचित नहीं है ।

7— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है ।

प्रशासकीय सदस्य